






**स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत अधीनस्थ सेवा वर्ग-3, (उद्यान विकास शाखा) के पात्र कार्मिकों की सूची (उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तराखण्ड)
(उद्यान विकास शाखा)**

दुर्गम से सुगम

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	दुर्गम क्षेत्र में सेवा की अवधि	अभ्युक्ति
1	श्री लक्षम सिंह, पर्यवेक्षक, रा०उ०, चौबटिया-अल्मोड़ा	33 वर्ष 10 माह	धारा 10 क के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते हैं।
2	श्री कुंवर सिंह नेगी, पर्यवेक्षक, उ०स०द०के०, पाली-टिहरी	33 वर्ष 7 माह	धारा 10 क के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते हैं।
3	श्री हरक सिंह, पर्यवेक्षक, रा०उ०, चौबटिया-अल्मोड़ा	32 वर्ष 8 माह	धारा 10 ख के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते हैं।
4	श्री नवीन चन्द्र लोहनी, रा०उ० गरगडी-नैनीताल	31 वर्ष 11 माह	धारा 10 ख के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते हैं।
5	श्री कौर सिंह, पर्यवेक्षक, उ०स०द०के०, भवान-टिहरी	31 वर्ष 10 माह	धारा 10 ख के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते हैं।
6	श्री आनन्द गिरी, पर्यवेक्षक, रा०उ०, चौबटिया-अल्मोड़ा	30 वर्ष 9 माह	धारा 10 ख के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते हैं।
7	श्री तपेन्द्र सिंह, पर्यवेक्षक, उ०स०द०केन्द्र, पंतवाड़ी-टिहरी	27 वर्ष 11 माह	धारा 10 क के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते हैं।
8	श्री गोपाल सिंह नेगी, पर्यवेक्षक उ०स०द०केन्द्र, सुयालबाड़ी-नैनीताल	24 वर्ष 10 माह	धारा 10 ख के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते हैं।
9	श्री बलवन्त सिंह साह, पर्यवेक्षक, उ०स०द०के०, चिपलघाट-पौड़ी	19 वर्ष 5 माह	धारा 10 ख के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते हैं।
10	श्री सूरवीर सिंह, पर्यवेक्षक, उ०स०द०के० पालीसैण-पौड़ी	18 वर्ष 11 माह	धारा 10 ख के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते हैं।






11	श्री प्यार सिंह, पर्यवेक्षक उ०स०द०केन्द्र, भंकोली-उत्तरकाशी	15 वर्ष 10 माह	धारा 10 ख के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते है।
12	राम सिंह नेगी, पर्यवेक्षक उ०स०द०केन्द्र, बिल्लेख-अल्मोडा	10 वर्ष 11 माह	धारा 10 क के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते है।
13	श्री दौलत राम, पर्यवेक्षक, उ०स०द०के०, अखोडी-टिहरी	7 वर्ष 4 माह	धारा 10 क के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते है।
14	श्री नवल किशोर जोशी, पर्यवेक्षक, उ०स०द०के०, बैलपडाव-नैनीताल	5 वर्ष 4 माह	धारा 10 क के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते है।
15	श्री इन्द्र सिंह, पर्यवेक्षक, रा०उ० बरौथा-देहरादून	5 वर्ष 3 माह	धारा 10 क के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते है।
16	श्री राजीव कुमार पर्यवेक्षक, रा०उ० द्वारी-उत्तरकाशी	4 वर्ष 5 माह	धारा 10 क के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते है।
17	श्री पूर्णानन्द नौटियाल, पर्यवेक्षक, रा०उ० जरमोला-उत्तरकाशी	3 वर्ष 11 माह	धारा 10 क के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते है।
18	श्री काशी राम, पर्यवेक्षक, उ०स०द०के०, न्यूलीअकरी-टिहरी	3 वर्ष 4 माह	धारा 10 क के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते है।
19	श्री देवी प्रसाद डंगवाल, पर्यवेक्षक, रा०उ० स्यारी-रूद्रप्रयाग	3 वर्ष 4 माह	धारा 10 क के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते है।

सुगम से दुर्गम

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	सुगम क्षेत्र में सेवा की अवधि	अभ्युक्ति
1	श्री केशव चन्द्र, पर्यवेक्षक, प्र०प्रशि०एवं परी०केन्द्र, श्रीनगर पौड़ी	34 वर्ष 3 माह	धारा 7 ख के अनुसार दुर्गम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते हैं।
2	श्री रामचन्द्र, पर्यवेक्षक, उ०स०द०के० सहसपुर-देहरादून	32 वर्ष 6 माह	धारा 7 ख के अनुसार दुर्गम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते हैं।
3	श्री ज्ञान सिंह तडियाल, उ०वि०कार्या०-कोटद्वार-पौड़ी	32 वर्ष 2 माह	धारा 7 ख के अनुसार दुर्गम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते हैं।
4	श्री भगवान सिंह, पर्यवेक्षक, रा०आ०प्रक्षेत्र, गंगालहरी-देहरादून	31 वर्ष 9 माह	धारा 7 ख के अनुसार दुर्गम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते हैं।
5	श्री आनन्द सिंह रौतेला, पर्यवेक्षक, उ०स०द०के०, जौरासी-अल्मोड़ा	29 वर्ष 6 माह	धारा 7 क के अनुसार दुर्गम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते हैं।
6	श्रीमती नीलम नेगी, पर्यवेक्षक, उ०वि०कार्या०-कोटद्वार-पौड़ी	5 वर्ष 4 माह	धारा 7 क के अनुसार दुर्गम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते हैं।
7	श्री ताजवर सिंह, पर्यवेक्षक, उ०वि०कार्या०-कोटद्वार-पौड़ी	5 वर्ष 4 माह	धारा 7 क के अनुसार दुर्गम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते हैं।
8	श्री हरीश रावत, पर्यवेक्षक, उ०स०द०के०, पुरोला-उत्तरकाशी	5 वर्ष 4 माह	धारा 7 क के अनुसार दुर्गम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते हैं।
9	श्री दिनेश सिंह, पर्यवेक्षक, उ०स०द०के०, भटवाडी-उत्तरकाशी	5 वर्ष 4 माह	धारा 7 क के अनुसार दुर्गम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते हैं।
10	श्री चन्द्रपाल, पर्यवेक्षक, उ०स०द०के०, डामटा-उत्तरकाशी	5 वर्ष 4 माह	धारा 7 क के अनुसार दुर्गम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते हैं।

11	श्री अनुप थपलियाल, पर्यवेक्षक, उ०स०द०के० बडकोट-उत्तरकाशी	5 वर्ष 4 माह	धारा 7 क के अनुसार दुर्गम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते है।
12	श्रीमती संगीता, पर्यवेक्षक, उ०स०द०के०, अखोडी-टिहरी	5 वर्ष 4 माह	धारा 7 क के अनुसार दुर्गम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते है।
13	श्री रघुवीर सिंह राना, पर्यवेक्षक, उ०स०द०के० गोपेश्वर-चमोली	5 वर्ष 4 माह	धारा 7 क के अनुसार दुर्गम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते है।
14	श्री प्रमोद सिंह राणा, पर्यवेक्षक, उ०स०द०के० भिकियासैण-अल्मोड़ा	5 वर्ष 4 माह	धारा 7 क के अनुसार दुर्गम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते है।
15	श्री ओम प्रकाश आर्या, पर्यवेक्षक, जि०उ०कार्यालय-पौड़ी	5 वर्ष 4 माह	धारा 7 ख के अनुसार दुर्गम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते है।
16	श्री मनोज बिष्ट, पर्यवेक्षक, उ०स०द०के०, फाटा-रूद्रप्रयाग	5 वर्ष 3 माह	धारा 7 क के अनुसार दुर्गम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते है।
17	श्रीमती सीमा रावत, पर्यवेक्षक, उ०वि०कार्या०-कोटद्वार-पौड़ी	4 वर्ष 6 माह	धारा 7 क के अनुसार दुर्गम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते है।
18	श्री गोपी चन्द्र, पर्यवेक्षक, उ०वि०कार्या०-कोटद्वार-पौड़ी	4 वर्ष 6 माह	धारा 7 क के अनुसार दुर्गम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता में आते है।

**सम्भावित रिक्ति
(उद्यान विकास शाखा वर्ग-3)**

क्र० सं०	पद का नाम	कार्मिक का नाम	जिस स्थान में रिक्ति हो रही है	रिक्ति की तिथि	रिक्ति का चिन्हित स्थान
1	उद्यान पर्यवेक्षक	श्री प्रेम सिंह रावत	जिला उद्यान अधिकारी, टिहरी के अधीन	31.05.18 के अपरान्ह से	उ०स०द०के० गजा-टिहरी
2	उद्यान पर्यवेक्षक	श्री केदार सिंह कार्की	मुख्य उद्यान अधिकारी, नैनीताल के अधीन	31.05.18 के अपरान्ह से	उ०स०द०के० नैनीताल
3	उद्यान पर्यवेक्षक	श्री धुत्त सिंह दिनांक 31.04.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो रहे हैं।	जिला उद्यान अधिकारी, पौडी के अधीन	30.04.2018 के अपरान्ह से	उ०स०द०के० पाखरीखेत-पौडी











अधीनस्थ सेवा वर्ग-3 (उद्यान विकास शाखा) के रिक्त पदों का विवरण

क्र० सं०	पद का नाम	अधिष्ठान का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कार्मिकों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	उद्यान पर्यवेक्षक	अपर निदेशक कार्यालय, देहरादून	2	1	1	
2		मुख्य उद्यान अधिकारी देहरादून	24	14	10	
3		जिला उद्यान अधिकारी पौड़ी	24	8	16	
4		उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार	26	8	18	
5		मुख्य उद्यान अधिकारी उत्तरकाशी	25	21	4	
6		जिला उद्यान अधिकारी टिहरी	28	20	8	—
7		जिला उद्यान अधिकारी रुद्रप्रयाग	16	7	9	
8		मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार	13	3	10	—
9		मुख्य उद्यान अधिकारी चमोली	33	9	24	—
10		मुख्य उद्यान अधिकारी ऊधमसिंहनगर	15	2	13	—
11		जिला उद्यान अधिकारी चम्पावत	15	4	11	—
12		मुख्य उद्यान अधिकारी पिथौरागढ़	32	8	24	—
13		मुख्य उद्यान अधिकारी नैनीताल	32	16	16	—
14		मुख्य उद्यान अधिकारी अल्मोड़ा	44	10	34	—
15		जिला उद्यान अधिकारी बागेश्वर	11	2	9	—
		योग-	340	133	207	—



वर्ग-3, (उद्यान विकास शाखा) में कार्यरत अनिवार्य स्थानान्तरण की परिधि में आने वाले कर्मिकों का विवरण
1-जनपद देहरादून

स्वी0 पदों की सं0	पदनाम / कार्यालय	तैनात कर्मिक का नाम	जन्म तिथि	गृह जनपद	पद एवं कार्यस्थल	सम्पूर्ण सेवा का विवरण						अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत अनुमन्य छूट (यदि कोई हों)
						कब से	कब	सेवा अवधि	सुगम / दुर्गम	सुगम की कुल सेवा	दुर्गम की कुल सेवा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	पर्यवेक्षक अपर निदेशक कार्या0- देहरादून	1-श्रीमती गीता सेमवाल	15.11.78	मखवा, पो0-हर्षिल तह0मटवाडी, उत्तरकाशी	पर्य0-उ0स0द0के0	4.2.13	1.8.17	4 वर्ष 6 माह	सुगम	5 वर्ष 3 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार पात्रता की श्रेणी में नही है।
					विन्यालीसौड (उत्तरकाशी)	2.8.17	1.5.18	9 माह	सुगम			
					पर्य0-अपर निदेशक, कार्या0- देहरादून							
					पर्य0 रा0उ0 ढकपानी,	19.11.15	31.5.18	2 वर्ष 6 माह	सुगम	2 वर्ष 6 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार पात्रता की श्रेणी में नही है।
					पर्य0-उ0स0द0के0 सहिया	17.11.15	31.5.18	2 वर्ष 6 माह	सुगम	2 वर्ष 6 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार पात्रता की श्रेणी में नही है।
					सम्बद्ध-मु0उ0कार्या0-देहरादून							
		2-श्रीमती बबीता बिष्ट	12.7.85	देहरादून	पर्य0-उ0स0द0के0	2.12.15	31.5.18	2 वर्ष 6 माह	सुगम	2 वर्ष 6 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार पात्रता की श्रेणी में नही है।
		3-श्रीमती उर्मिला	5.3.86	देहरादून	पर्य0-उ0स0द0के0	17.11.15	31.5.18	2 वर्ष 6 माह	सुगम	2 वर्ष 6 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार पात्रता की श्रेणी में नही है।
		4-श्रीमती अंजना राणा	3.7.89	उत्तरकाशी	पर्य0-उ0स0द0के0 नौगोंव / मंसूरी	2.12.15	31.5.18	2 वर्ष 6 माह	सुगम	2 वर्ष 6 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार पात्रता की श्रेणी में नही है।
		5-श्री वेदप्रकाश खर्कवाल	9.9.77	चम्पावत	पर्य0-विधान सभा देहरादून	4.12.13	14.8.18	4 वर्ष 8 माह	सुगम	7 वर्ष 5 माह	धारा 7 ख के अनुसार पात्रता की श्रेणी में नही है।	
					पर्य0-रा0उ0जरमोला (उत्तरकाशी)	15.8.15	22.1.16	5 माह	दुर्गम			
					पर्य0-रा0उ0स0हा0देहरादून	23.1.16	31.5.18	2 वर्ष 4 माह	सुगम			
		6-श्री इन्द्र सिंह	2.2.88	देहरादून	पर्य0-रा0उ0 बरौथा (देहरादून)	5.2.13	31.5.18	5 वर्ष 3 माह	दुर्गम	शून्य	5 वर्ष 3 माह	धारा 10 क के अनुसार दुर्गम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में है।

7-श्री प्रियंक पाल	18.1.89	देहरादून	पर्य0-उ0स0द0के0 बमरसू (अल्मोजा)	20.11.15	5.5.17	1 वर्ष 6 माह	सुगम	1 वर्ष 6 माह	1 वर्ष 1 माह	धारा 10 ख के अनुसार पात्रता की श्रेणी में नहीं है।	
			पर्य0-उ0स0द0के0 लाखमण्डल (देहरादून)	6.5.17	31.5.18	1 वर्ष 1 माह	दुर्गम				
8-श्री महेन्द्र सिंह	1.5.83	चमोली	पर्य0-रा0आ0प्र0-कोटी (चमोली)	6.2.13	29.7.17	4 वर्ष 5 माह	दुर्गम	10 माह	4 वर्ष 5 माह	धारा 7 ख के अनुसार पात्रता की श्रेणी में नहीं है।	
			पर्य0-सचिवालय-देहरादून	30.7.17	31.5.18	10 माह	सुगम				
9-श्रीमती निधि थपलियाल	18.7.83	देहरादून	पर्य0-उ0स0द0के0 दयूली-कोटद्वार	26.11.15	31.12.17	2 वर्ष 1 माह	सुगम	2 वर्ष 6 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार पात्रता की श्रेणी में नहीं है।	
			पर्य0-उ0स0द0के0 जोईवाला-देहरादून	14.12.17	31.5.18	5 माह	सुगम				
			पर्य0-उ0स0द0के0 ताकूला (अल्मोजा)	27.11.15	24.8.16	9 माह	सुगम	9 माह	1 वर्ष 9 माह	धारा 10 ख के अनुसार पात्रता की श्रेणी में नहीं है।	
10-श्री संदीप चौहान	5.10.88	उत्तरकाशी	पर्य0-उ0स0द0के0 कालसी-देहरादून	25.8.16	31.5.18	1 वर्ष 9 माह	दुर्गम				
			पर्य0-विधान सभा देहरादून	10.11.17	31.5.18	6 माह	सुगम	6 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार पात्रता की श्रेणी में नहीं है।	
11-श्रीमती कोटियाल	12.3.88	देहरादून									
12-श्री भवानी दत्त पाण्डे	15.9.58	अल्मोजा	माली-रा0उ0स0ह0देहरादून	26.4.86	3.9.17	31 वर्ष 4 माह	सुगम	32 वर्ष 6 माह	शून्य	धारा 7 ख एवं 7 घ (एक) के अनुसार छूट की श्रेणी में है।	
			पर्य0-उ0स0द0के0 विकासनगर-देहरादून	20.3.17	31.5.18	1 वर्ष 2 माह	सुगम				
13-श्री रामचन्द्र	1.1.65	आजमगढ़	माली-रा0आ0प्र0 गंगालहरी-देहरादून	26.11.85	25.12.16	31 वर्ष 1 माह	सुगम	32 वर्ष 6 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार पात्रता की श्रेणी में है।	
			पर्य0-उ0स0द0के0 सहसपुर-देहरादून	25.12.16	31.5.18	1 वर्ष 5 माह	सुगम				
			माली-रा0उ0स0ह0देहरादून	8.9.86	6.10.17	31 वर्ष 1 माह	सुगम	31 वर्ष 9 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार पात्रता की श्रेणी में है।	
14-श्री भगवान सिंह	11.5.64	पौड़ी	पर्य0-रा0आ0प्र0 गंगालहरी-देहरादून	7.10.17	31.5.18	8 माह	सुगम				
			माली-उ0स0द0के0, रायवाला-देहरादून	13.3.87	8.11.17	30 वर्ष 8 माह	सुगम	31 वर्ष 2 माह	शून्य	धारा 7 ख, 7 घ (एक) के अनुसार छूट की श्रेणी में है।	
15-श्री सुरेश पाल	1.6.60	मेरठ	माली-उ0स0द0के0, रायवाला-देहरादून	9.11.17	31.5.18	6 माह	सुगम				

2-जनपद पौड़ी

स्वी0 पदों की सं0	पदनाम / कार्यालय	तैनात कार्मिक का नाम	जन्म तिथि	गृह जनपद	सम्पूर्ण सेवा का विवरण								अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत अनुमन्य छूट (यदि कोई हो)		
					पद एवं कार्यस्थल	कब से	कब	सेवा अवधि	सुगम / दुर्गम	सुगम की कुल सेवा	दुर्गम की कुल सेवा	13			
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	पर्यवेक्षक जि0उ0 कार्या0-पौड़ी	1-कुं0 शालिनी 2-श्री सुरज पाल सिंह 3-श्री धनवीर सिंह 4-श्री बलवन्त सिंह साह	1.6.92 10.7.86 20.10.86 7.2.59	चमोली पौड़ी टिहरी पौड़ी	पर्या0-उ0स0द0के0 पौड़ी पर्या0-उ0स0द0के0 नाहसैण-पौड़ी पर्या0-उ0स0द0के0 शलीसैण-पौड़ी पर्या0-उ0स0द0के0 चौबट्टा-पौड़ी माली-मु0उ0कार्या0-चमोली माली-जि0उ0कार्या0-पौड़ी माली-उ0स0द0के0 दुगाड्डा-पौड़ी माली-उ0स0द0के0 देवप्रयाग-पौड़ी माली-उ0स0द0के0 पावों-पौड़ी माली-उ0स0द0के0 चिपलघाट-पौड़ी पर्या0-उ0स0द0के0 चिपलघाट-पौड़ी	20.11.15 26.11.15 11.8.17 21.11.15 21.4.84 11.1.86 1.7.93 1.9.95 1.2.98 1.12.09 20.11.15	31.5.18 10.8.17 31.5.18 31.5.18 10.1.86 30.10.93 31.8.95 31.1.98 30.11.09 19.1.15 31.5.18	2 वर्ष 6 माह 2 वर्ष 8 माह 10 माह 2 वर्ष 6 माह 1 माह 8 माह 7 वर्ष 9 माह 2 वर्ष 2 माह 2 वर्ष 5 माह 11 वर्ष 10 माह 5 वर्ष 1 माह 2 वर्ष 6 माह	सुगम सुगम दुर्गम सुगम सुगम सुगम सुगम सुगम दुर्गम दुर्गम दुर्गम	2 वर्ष 6 माह 1 वर्ष 8 माह 8 माह 2 वर्ष 6 माह 14 वर्ष 5 माह	शून्य 10 माह शून्य	धारा 7 ख के अनुसार पात्रता की श्रेणी में नहीं है। धारा 7 ख के अनुसार पात्रता की श्रेणी में नहीं है। धारा 10 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु सुगम क्षेत्र के लिये पात्रता की श्रेणी में है।			

5-श्री धुल्ला सिंह	24.9.59	पौड़ी	माली-उद्यान विशेषज्ञ, कार्या-कोटद्वार (पौड़ी)	14.3.85	30.11.86	1 वर्ष 8 माह	सुगम	10 वर्ष 8 माह	24 वर्ष 2 माह	धारा 10 क के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु सुगम क्षेत्र के लिये पात्रता की श्रेणी में है। दिनांक 30.04.2018 को स्वैच्छिक सेवा निवृत्त हो रहे है।
			माली-परियोजना जलागम-चम्बा टिहरी माली-उ0स0द0के0 देवराजखाल (पौड़ी) माली-उ0स0द0के0 पोखरीखेत (पौड़ी) पर्य0- उ0स0द0के0 पोखरीखेत (पौड़ी)	1.12.86	2.12.95	9 वर्ष	सुगम	9 वर्ष		
6-श्री शुरवीर सिंह	30.1.66	चमोली	माली-उ0स0द0के0 खाण्डसैड (पौड़ी)	21.10.86	30.6.99	12 वर्ष 8 माह	सुगम	12 वर्ष 8 माह	18 वर्ष 11 माह	धारा 10 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु सुगम क्षेत्र के लिये पात्रता की श्रेणी में है।
			माली-उ0स0द0के0 चमोली (पौड़ी)	1.7.99	25.7.05	6 वर्ष 1 माह	दुर्गम			
			माली-उ0स0द0के0 जेतगाँव (पौड़ी)	25.7.05	29.9.06	1 वर्ष 2 माह	दुर्गम			
			माली-उ0स0द0के0 पाटीसेण (पौड़ी)	30.9.06	26.10.17	11 वर्ष 1 माह	दुर्गम			
			पर्य0-उ0स0द0के0 चाकीसेण (पौड़ी)	27.10.17	25.3.18	5 माह	दुर्गम			
			पर्य0-उ0स0द0के0 पाटीसेण (पौड़ी)	29.3.18	31.5.18	2 माह	दुर्गम			
			पर्य0-जि0उ0कार्य0-पौड़ी	7.2.13	31.5.18	5 वर्ष 4 माह	सुगम	5 वर्ष 4 माह	शून्य	धारा 7 क के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में है।
			माली-उ0स0द0के0 श्रीनगर-पौड़ी	24.1.84	7.4.16	32 वर्ष 2 माह	सुगम	34 वर्ष 3 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण के लिये पात्र है।
			पर्य0-औ0प्र0एवं परी0के0-श्रीनगर-पौड़ी	8.4.16	31.5.18	2 वर्ष 1 माह	सुगम			
			8-श्री केशव चन्द्र	23.6.63	पौड़ी					

पर्यवेक्षक
उद्यान
विशेषज्ञ
कार्या-
कोटद्वार
(पौड़ी)

1-श्रीमती नीलम नेगी	30.4.75	पौड़ी	पर्या0-उद्यान विशेषज्ञ कार्या0-कोटद्वार (पौड़ी)	6.2.13	31.5.18	5 वर्ष 4 माह	सुगम	5 वर्ष 4 माह	शून्य	धारा 7 क के अनुसार दुर्गम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में है।
2-श्री ताजवर सिंह	7.7.83	पौड़ी	पर्या0-उद्यान विशेषज्ञ कार्या0-कोटद्वार (पौड़ी)	6.2.13	31.5.18	5 वर्ष 4 माह	सुगम	5 वर्ष 4 माह	शून्य	धारा 7 क के अनुसार दुर्गम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में है।
3-श्रीमती सीमा रावत	16.10.88	चमोली	पर्या0-उद्यान विशेषज्ञ कार्या0-कोटद्वार (पौड़ी)	28.11.13	31.5.18	4 वर्ष 6 माह	सुगम	4 वर्ष 6 माह	शून्य	धारा 7 क के अनुसार दुर्गम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में है।
4-श्री गोपी चन्द्र	30.8.83	पौड़ी	पर्या0-उद्यान विशेषज्ञ कार्या0-कोटद्वार (पौड़ी)	26.11.13	31.5.18	4 वर्ष 6 माह	सुगम	4 वर्ष 6 माह	शून्य	धारा 7 क के अनुसार दुर्गम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में है।
5-श्री गाविन्द मन्द्रवाल	15.12.88	पौड़ी	पर्या0-उद्यान विशेषज्ञ कार्या0-कोटद्वार (पौड़ी)	23.11.15	31.5.18	2 वर्ष 6 माह	सुगम	2 वर्ष 6 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
6-श्री जितेन्द्र सिंह रावत	11.4.90	पौड़ी	पर्या0-सं0नि0 कार्या0-पौड़ी पर्या0-उद्यान विशेषज्ञ कार्या0-कोटद्वार (पौड़ी)	26.11.15	29.5.16	6 माह 2 वर्ष	सुगम सुगम	2 वर्ष 6 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
7-श्री ज्ञान सिंह तडियाल	20.6.63	टिहरी	माली-जि0उ0कार्या0-टिहरी पर्या0-उद्यान विशेषज्ञ कार्या0-कोटद्वार (पौड़ी)	25.2.85	3.7.15	30 वर्ष 4 माह 2 वर्ष 10 माह	सुगम सुगम	33 वर्ष 2 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार दुर्गम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में है।

8-श्री हरेन्द्र सिंह पवार	15.6.84	पौडी	पर्यो-उद्यान विशेषज्ञ कार्या-कोटद्वार (पौडी)	23.10.17	31.5.18	7 माह	सुगम	7 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पत्रता की श्रेणी में नहीं है।
---------------------------	---------	------	---	----------	---------	-------	------	-------	-------	--

3-जनपद उत्तरकाशी

स्त्री/पदों की सं०	पदनाम/कार्यालय	तैनात कार्मिक का नाम	जन्म तिथि	गृह जनपद	पद एवं कार्यालय	सम्पूर्ण सेवा का विवरण						अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत अनुमन्य छूट (यदि कोई हों)
						कब से	कब	सेवा अवधि	सुगम / दुर्गम	सुगम की कुल सेवा	दुर्गम की कुल सेवा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	पर्यवेक्षक मु०उ० कार्या०-उत्तरकाशी	1-श्री राजेश कुमार नौटियाल 2-श्री कृष्णा विजलवाण 3-श्री भूपेन्द्र सिंह 4-श्री राजेश प्रसाद नौटियाल	1.4.88 3.7.89 10.10.86 13.2.63	उत्तरकाशी उत्तरकाशी उत्तरकाशी उत्तरकाशी	पर्यो-मु०उ०कार्या०-उत्तरकाशी पर्यो-मु०उ०कार्या०-उत्तरकाशी पर्यो-उ०स०द०के० नौगाँव पर्यो-उ०स०द०के० कोटबाग (नैनीताल) माली-उ०स०द०के० जोगत (उत्तरकाशी) माली-उ०स०द०के० नौगाँव (उत्तरकाशी) माली-उ०स०द०के० डुण्डा (उत्तरकाशी) पर्यो-ग०उ० डुण्डा (उत्तरकाशी)	18.11.15 28.11.15 16.3.15 21.4.84	31.5.18 15.3.18 31.5.18 6/1996	2 वर्ष 6 माह 2 वर्ष 4 माह 3 वर्ष 2 माह 2 वर्ष 6 माह	सुगम सुगम सुगम दुर्गम	6 माह 5 वर्ष 6 माह 2 वर्ष 6 माह 25 वर्ष 3 माह	शून्य शून्य शून्य 9 वर्ष	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पत्रता की श्रेणी में नहीं है। धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पत्रता की श्रेणी में नहीं है। धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पत्रता की श्रेणी में नहीं है। धारा 7 ख एवं 7 घ (एक) के अनुसार छूट की श्रेणी में है।

5-श्री विनय सिंह	31.8.88	उत्तरकाशी	पर्य0-मु0उ0कार्या0-चमोली	28.11.15	23.2.16	3 माह	सुगम	3 माह	1 वर्ष 7 माह	धारा 10 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
			पर्य0-उ0स0द0के0 कफनौल (उत्तरकाशी)	24.10.16	31.5.18	1 वर्ष 7 माह	दुर्गम	1 वर्ष 7 माह	धारा 10 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।	
6-श्री प्रदीप सिंह	18.4.82	चम्पावत	पर्य0-उ0स0द0के0-धौन्तरी (उत्तरकाशी)	17.11.15	31.5.18	2 वर्ष 6 माह	दुर्गम	शून्य	2 वर्ष 6 माह	धारा 10 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
			पर्य0-उ0स0द0के0 बोरागाड (चमोली)	20.11.15	30.8.16	9 माह	दुर्गम	शून्य	2 वर्ष 6 माह	धारा 10 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
7-श्री कीरत सिंह	5.2.92	देहरादून	पर्य0-उ0स0द0के0 भुटाणू (उत्तरकाशी)	31.8.16	31.5.18	1 वर्ष 9 माह	दुर्गम	15 वर्ष	15 वर्ष 10 माह	धारा 10 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
			पर्य0-उ0स0द0के0 आराकोट (उत्तरकाशी)	6.9.86	2/1987	5 माह	दुर्गम	15 वर्ष	15 वर्ष 10 माह	धारा 10 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
8-श्री प्यार सिंह	6.11.65	उत्तरकाशी	माली-उ0स0द0के0 भुटाणू (उत्तरकाशी)	2/1987	7/1989	2 वर्ष	दुर्गम	5 वर्ष	5 वर्ष	धारा 7 क के अनुसार दुर्गम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
			माली-उ0स0द0के0 ब्रहमखाल (उत्तरकाशी)	7/1989	6/1994	5 वर्ष	सुगम	5 वर्ष	5 वर्ष	धारा 7 क के अनुसार दुर्गम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
9-श्री हरीश रावत	5.8.89	उत्तरकाशी	पर्य0-उ0स0द0के0 भंकोली (उत्तरकाशी)	27.12.16	31.5.18	1 वर्ष 5 माह	दुर्गम	5 वर्ष	5 वर्ष	धारा 7 क के अनुसार दुर्गम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
			पर्य0-उ0स0द0के0 पुरोला (उत्तरकाशी)	2.2.13	31.5.18	5 वर्ष 4 माह	सुगम	5 वर्ष 4 माह	5 वर्ष 4 माह	धारा 7 क के अनुसार दुर्गम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
10-श्रीमती सरिता चौहान	24.10.86	उत्तरकाशी	पर्य0-उ0स0द0के0, बडेधी (उत्तरकाशी)	23.11.15	31.5.18	2 वर्ष 6 माह	सुगम	2 वर्ष 6 माह	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।	

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

11-श्री दिनेश सिंह	15.10.81	उत्तरकाशी	पर्य0- उ0स0द0के0, भटवाडी (उत्तरकाशी)	2.2.13	31.5.18	5 वर्ष 4 माह	सुगम	5 वर्ष 4 माह	शून्य	धारा 7 क के अनुसार दुर्गम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में है।
12-श्री धर्मचंद्र सिंह	3.11.86	उत्तरकाशी	पर्य0- उ0स0द0के0, मोरी (उत्तरकाशी)	20.11.15	31.5.18	2 वर्ष 6 माह	सुगम	2 वर्ष 6 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
13-श्री चन्द्रपाल	13.7.78	देहरादून	पर्य0-उ0स0द0के0, जामटा (उत्तरकाशी)	7.2.13	31.5.18	5 वर्ष 4 माह	सुगम	5 वर्ष 4 माह	शून्य	धारा 7 क के अनुसार दुर्गम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में है।
14-श्री अनुप थापलियाल	1.9.84	उत्तरकाशी	पर्य0-उ0स0द0के0, बडकोट (उत्तरकाशी)	4.2.13	31.5.18	5 वर्ष 4 माह	सुगम	5 वर्ष 4 माह	शून्य	धारा 7 क के अनुसार दुर्गम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में है।
15-कु0 उनियाल	20.1.90	उत्तरकाशी	पर्य0-उ0स0द0के0, उत्तरकाशी (उत्तरकाशी)	23.11.15	31.5.18	2 वर्ष 6 माह	सुगम	2 वर्ष 6 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
16-श्री पूर्णानन्द नौटियाल	7.4.60	उत्तरकाशी	माली-रा0उ0 जरमोला (उत्तरकाशी) माली-उ0स0द0के0 नौगाँव (उत्तरकाशी) माली-उ0स0द0के0 बडकोट (उत्तरकाशी) माली-रा0उ0 नौगाँव (उत्तरकाशी) पर्य0-रा0उ0 जरमोला (उत्तरकाशी)	14.12.86 7 / 1987 6 / 1995 3 / 06 6.2.15	7 / 1987 6 / 1995 3 / 06 6.2.15 31.5.18	7 माह 8 वर्ष 11 वर्ष 8 वर्ष 11 माह 3 वर्ष 4 माह	दुर्गम सुगम सुगम सुगम दुर्गम	27 वर्ष 11 माह 3 वर्ष 11 माह	धारा 10 क के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में है।	

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

17-श्री पूर्णानन्द भट्ट	20.12.62	उत्तरकाशी	माली-उ०स०द०के० कफनौल (उत्तरकाशी)	13.12.88	6/1993	4 वर्ष 6 माह	दुर्गम	21 वर्ष 10 माह	7 वर्ष 6 माह	धारा 7 ख एवं 7 घ (एक) के अनुसार छूट की श्रेणी में है।		
			माली-उ०स०द०के० ब्रह्मखाल (उत्तरकाशी)	6/1993	6/1999	6 वर्ष	सुगम					
18-श्री राजीव कुमार	4.5.87	उत्तरकाशी	माली-रा०उ० द्वारा (उत्तरकाशी)	6/1999	7/2002	3 वर्ष	दुर्गम					
			माली-उ०स०द०के० जुण्डा (उत्तरकाशी)	7/2002	20.2.18	15 वर्ष 7 माह	सुगम					
19-राजेंद्र सिंह रावत	7.4.59	उत्तरकाशी	पर्य०-उ०स०द०के० 0 जुण्डा (उत्तरकाशी)	21.2.18	31.5.18	3 माह	सुगम					
			पर्य०-रा०उ० द्वारा (उत्तरकाशी)	14.12.13	31.5.18	4 वर्ष 5 माह	दुर्गम	शून्य	4 वर्ष 5 माह	धारा 10 क के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में है।		
19-राजेंद्र सिंह रावत	7.4.59	उत्तरकाशी	माली-उ०स०द०के० राजा (उत्तरकाशी)	23.1.84	27.2.85	1 वर्ष 1 माह	दुर्गम	29 वर्ष 7 माह	3 वर्ष 7 माह	धारा 7 ख एवं 7 घ (एक) के अनुसार छूट की श्रेणी में है।		
			माली-उ०स०द०के० पतलोट (नैनीताल)	28.2.85	5.6.86	1 वर्ष 3 माह	दुर्गम					
			माली-उ०स०द०के० बडकोट (उत्तरकाशी)	6.6.86	7.8.89	3 वर्ष 2 माह	सुगम					
			माली-उ०स०द०के० राजगडी (उत्तरकाशी)	8.8.89	30.7.91	1 वर्ष 11 माह	दुर्गम					
			माली-उ०स०द०के० नौगाँव (उत्तरकाशी)	31.7.91	17.2.15	23 वर्ष 7 माह	सुगम					
			पर्य०-उ०स०द०के० कफनौल (उत्तरकाशी)	18.2.15	28.7.15	5 माह	दुर्गम					
			पर्य०-उ०स०द०के० ब्रह्मखाल (उत्तरकाशी)	29.7.15	31.5.18	2 वर्ष 10 माह	सुगम					

Signature

Signature

Signature

Signature

20-श्री गणेश प्रसाद	विप्लवाण	15.12.65	उत्तरकाशी	माली-उ0स0द0के0 जरमोला (उत्तरकाशी)	8.9.86	27.1.87	4 माह	दुर्गम	30 वर्ष	2 वर्ष 5 माह	धारा 10 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पत्रता की श्रेणी में नहीं है।	
				माली-आ0वि0 कार्या- उत्तरकाशी	28.1.87	9.7.91	4 वर्ष 6 माह	सुगम	1 माह			
21-श्री हरेन्द्र सिंह		10.6.82	उत्तरकाशी	माली-उ0स0द0के0 (उत्तरकाशी)	10.7.91	13.7.04	13 वर्ष	सुगम				
				माली-उ0स0द0के0 (उत्तरकाशी)	14.7.04	24.6.13	8 वर्ष 11 माह	सुगम				
				माली-उ0स0द0के0 (उत्तरकाशी)	25.6.13	2.10.17	4 वर्ष 4 माह	सुगम				
				चिन्यालीसौड (उत्तरकाशी)	3.10.17	31.5.18	8 माह	दुर्गम				
				पर्य0-उ0स0द0के0 श्रीरकोट (दिल्ली)	23.11.15	23.12.16	1 वर्ष 1 माह	सुगम	1 वर्ष 1 माह	1 वर्ष 5 माह	धारा 10 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पत्रता की श्रेणी में नहीं है।	
				पर्य0-रा0उ0दासी (उत्तरकाशी)	24.12.16	31.5.18	1 वर्ष 5 माह	दुर्गम				

4-जनपद दिल्ली

स्वी0 पदों की सं0	पदनाम / कार्यालय	तैनात कार्मिक का नाम	जन्म तिथि	गृह जनपद	पद एवं कार्यालय	सम्पूर्ण सेवा का विवरण						अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत अनुमन्य छूट (यदि कोई हो)
						कब से	कब	सेवा अवधि	सुगम / दुर्गम	सुगम की कुल सेवा	दुर्गम की कुल सेवा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	पर्यवेक्षक नि0उ0 कार्या0-दिल्ली	1-श्रीमती संगीता	8.7.83	ग्राम-हुलाना खाल, पो0-चाजी, घनसाली (दिल्ली)	पर्य0-उ0स0द0के0 अखाडी(दिल्ली)	7.2.13	31.5.18	5 वर्ष 4 माह	दुर्गम	शून्य	5 वर्ष 4 माह	धारा 7 क के अनुसार दुर्गम क्षत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पत्रता की श्रेणी में है।
		2-श्री विक्रम सिंह	17.7.86	गा0 / पो0-बालावाला (दिल्ली)	पर्य0-उ0स0द0के0, चम्बा (दिल्ली)	18.11.15	10.6.16	7 माह	सुगम	2 वर्ष 6 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पत्रता की श्रेणी में नहीं है।

3-श्री जगमोहन	4.10.86	33, अमन विहार निरजनपुर (देहरादून)	पर्य0-उ0स0द0के0 स्याद्वे (अल्मोडा)	20.11.15	30.9.16	10 माह	सुगम	10 माह	1 वर्ष 8 माह	धारा 10 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।	
			पर्य0-उ0स0द0के0 मेडियाना (टिहरी)	1.10.16	31.5.18	1 वर्ष 8 माह	दुर्गम				
4-श्री भरत सिंह	20.5.85	ग्रा0/सो-न्दा, पो0-चौराथा (रूद्रप्रयाग)	पर्य0-रा0डूग फार्म सौनी, (अल्मोडा)	19.11.15	23.6.17	1 वर्ष 7 माह	दुर्गम	11 माह	1 वर्ष 7 माह	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।	
			पर्य0-रा0उ0 धनोल्दी (टिहरी)	24.6.17	31.5.18	11 माह	सुगम				
5-श्री हेमवती नन्दन	26.4.78	ग्रा0-बौराथ मल्ला, पो0-किनाथ धूमाकोट (सौडी)	पर्य0-उ0स0द0के0 कौसानी (बागेश्वर)	26.11.15	28.10.16	11 माह	सुगम	2 वर्ष 5 माह	1 माह	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।	
			पर्य0-उ0स0द0के0 बच्छेलीखाल (टिहरी)	29.10.16	15.11.16	1 माह	दुर्गम				
			पर्य0-रा0आ0प्र0 धनोल्दी (टिहरी)	16.11.16	31.5.18	1 वर्ष 6 माह	सुगम				
			पर्य0-उ0स0द0के0 देवदर्शनी (टिहरी)	23.11.15	25.4.17	5 माह	दुर्गम	1 वर्ष 1 माह	5 माह	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।	
6-श्री सीमा उनियाल	10.5.84	ग्राम-ग्वाड, पो0-चम्बा (टिहरी)	पर्य0-उ0स0द0के0 चम्बा (टिहरी)	26.4.17	31.5.18	1 वर्ष 1 माह	सुगम				
			पर्य0-उ0स0द0के0, नैनबाग (टिहरी)	20.11.15	18.6.16	7 माह	सुगम	2 वर्ष 6 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।	
			पर्य0-जि0उ0कार्या0-टिहरी	19.6.16	28.12.16	6 माह	सुगम				
7-श्रीमती सुनिता	10.3.90	बुखुवाला, (देहरादून)	पर्य0-उ0स0द0के0 कुमालडा (टिहरी)	29.12.16	31.5.18	1 वर्ष 5 माह	सुगम				
			पर्य0-उ0स0द0के0 कीर्तिनगर (टिहरी)	23.11.15	31.8.16	9 माह	सुगम	1 वर्ष 3 माह	1 वर्ष 2 माह	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।	
8-कु0 स्वाती उनियाल	10.8.89	ग्रा0/पो0-मुयालगाँव (टिहरी)	पर्य0-उ0स0द0के0 न्यूतीअकली (टिहरी)	1.9.16	2.11.17	1 वर्ष 2 माह	दुर्गम				
			पर्य0-उ0स0द0के0 कीर्तिनगर (टिहरी)	2.11.17	31.5.18	6 माह	सुगम				
9-श्री नवप्रभात रतूडी	20.2.89	14, बीघा मुनिकोरेती (टिहरी)	पर्य0-उ0स0द0के0, डीडीहाट (पिथौरागढ़)	19.11.15	31.10.16	11 माह	सुगम	2 वर्ष 5 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।	
			पर्य0-उ0स0द0के0, फकौट (टिहरी)	1.11.16	31.5.18	1 वर्ष 6 माह	सुगम				

10-श्री सुनिल कुमार	10.2.87	फोल्ड भज्यागाँव, डुण्डा उत्तरकाशी	पर्य0-उ0स0द0के0 प्रतापनगर, टिहरी	7.11.15	31.5.18	2 वर्ष 6 माह	दुर्गम	शून्य	2 वर्ष 6 माह	धारा 10 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
			पर्य0-उ0स0द0के0 बख्खेलीखाल- टिहरी	23.10.17	31.5.18	7 माह	दुर्गम	शून्य	7 माह	धारा 10 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
11-श्री प्रमोद सिंह रांगड	11.4.87	ग्रा0-सिमलारू, पो0-पौडीखाल, जाखडीधार, टिहरी	पर्य0-उ0स0द0के0 गजा, टिहरी	18.9.96	4.2.15	18 वर्ष 5 माह	सुगम	21 वर्ष 6 माह	11 वर्ष 11 माह	धारा 7 ख एवं 7 घ (एक) के अनुसार छूट की श्रेणी में है। दिनांक 31.5.18 को सेवानिवृत्त होंगे।
			पर्य0-उ0स0द0के0 प्रतापनगर टिहरी	5.2.15	1.5.15	3 माह	दुर्गम			
12-श्री प्रेम सिंह रावत	10.5.58	ग्रा0-भन्यूल, पो0-पोखरी गजा, टिहरी	पर्य0-उ0स0द0के0 गजा, टिहरी	2.5.15	31.5.18	3 वर्ष 1 माह	सुगम			
			पर्य0-उ0स0द0के0 माली-उ0स0द0के0, बटवालधार, टिहरी	10.1.85	17.9.96	11 वर्ष 8 माह	दुर्गम	21 वर्ष 6 माह	11 वर्ष 11 माह	धारा 7 ख एवं 7 घ (एक) के अनुसार छूट की श्रेणी में है। दिनांक 31.5.18 को सेवानिवृत्त होंगे।
13-श्री कुंवर सिंह नेगी	2.5.64	ग्रा0-रेलिया लमगाँव, पो0 धारकोट, टिहरी	पर्य0-उ0स0द0के0 माली-उ0स0द0के0, काणताल-टिहरी	7.1.85	16.9.89	4 वर्ष 8 माह	दुर्गम	8 माह	33 वर्ष 7 माह	धारा 10 क के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में है।
			पर्य0-उ0स0द0के0 माली-उ0स0द0के0, धनोल्डी-टिहरी	17.9.88	10.5.89	8 माह	सुगम			
14-श्री दौलत राम	18.6.59	ग्रा0-सैनदुल, पो0-सिलथारा, धनसाली-टिहरी	पर्य0-उ0स0द0के0, बुडना-रूद्रप्रयाग	1.11.91	4.7.92	8 माह	दुर्गम	25 वर्ष 10 माह	7 वर्ष 4 माह	धारा 10 क के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में है।
			पर्य0-उ0स0द0के0, जडीपानी-टिहरी	5.7.92	27.1.15	22 वर्ष 6 माह	दुर्गम			
			पर्य0-उ0स0द0के0, पाली-टिहरी	28.1.15	31.5.18	3 वर्ष 4 माह	दुर्गम			
			पर्य0-उ0स0द0के0, माली-उ0स0द0के0, माली-जि0उ0कार्या0-टिहरी	2.2.84	25.2.88	4 वर्ष	दुर्गम	25 वर्ष 10 माह	7 वर्ष 4 माह	धारा 10 क के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में है।
			पर्य0-उ0स0द0के0, माली-उ0स0द0के0, धनसाली-टिहरी	17.3.93	23.1.15	20 वर्ष 10 माह	सुगम			
			पर्य0-उ0स0द0के0, अखाडी-टिहरी	24.1.15	31.5.18	3 वर्ष 4 माह	दुर्गम			

15-श्री सुन्दर सिंह राणा	30.5.59	ग्रा0-देवद, पो0- कुमासिला, घनसाली- टिहरी	माली-रा0उ0 चिरबटिया-टिहरी	8.2.84	7.2.03	19 वर्ष	दुर्गम	2 वर्ष	32 वर्ष	धारा 7 ख एवं 7 घ (एक)(दो) के अनुसार छंट की श्रेणी में है।	
			माली-उ0स0द0के0 -टिहरी	8.2.03	24.2.15	12 वर्ष	दुर्गम	3 माह			
16-श्री जयलाल पाण्डे	2.10.60	ग्रा0-चौण्ड, पो0-भरपुर, गजा टिहरी	माली-उ0स0द0के0 घनसाली-टिहरी	29.2.16	31.5.18	2 वर्ष 3 माह	सुगम				
			पर्य0-उ0स0द0के0								
			माली-उ0स0द0के0 गजा-टिहरी	4.1.86	29.8.95	9 वर्ष 8 माह	सुगम	11 वर्ष	20 वर्ष	धारा 7 ख एवं 7 घ (एक) के अनुसार छंट की श्रेणी में है।	
			माली-उ0स0द0के0 स्यासी-रूद्रप्रयाग	30.8.95	13.5.98	2 वर्ष 9 माह	दुर्गम	10 माह	9 माह		
			माली-उ0स0द0के0 नन्दगाँव-टिहरी	14.5.98	9.6.99	1 वर्ष 1 माह	सुगम				
			माली-उ0स0द0के0 बच्छेलीखाल-टिहरी	10.6.99	1.6.15	16 वर्ष	दुर्गम				
			माली-जि0उ0कार्या0-पौडी	2.6.15	31.7.15	2 माह	सुगम				
			माली-उ0उ0द0के0 हिसरियाखाल-टिहरी	1.7.15	30.6.17	2 वर्ष	दुर्गम				
			पर्य0-उ0उ0द0के0 हिण्डोलाखाल-टिहरी	1.7.17	31.5.18	11 माह	सुगम				
			माली-उ0स0द0के0 धनोल्डी-टिहरी	7.2.84	14.5.90	6 वर्ष 3 माह	सुगम	31 वर्ष	3 वर्ष 4 माह	धारा 10 क के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में है।	
17-श्री काशीराम	10.3.61	ग्रा0-खाल, पो0-मगरू, जाखणीधार- टिहरी	माली-उ0स0द0के0 सिमलासू-टिहरी	13.5.90	18.1.92	1 वर्ष 8 माह	सुगम				
			माली-उ0स0द0के0 कीर्तिनगर-टिहरी	19.1.92	2.2.15	23 वर्ष 1 माह	सुगम				
			पर्य0-उ0स0द0के0 न्यूलीअकरी-टिहरी	3.2.15	31.5.18	3 वर्ष 4 माह	दुर्गम				
18-श्री तपेन्द्र सिंह	4.11.64	ग्रा0-मोर, पो0-मोगी, धनोल्डी- टिहरी	माली-उ0स0द0के0 शत्यूड-टिहरी	3.1.85	30.6.90	5 वर्ष 5 माह	सुगम	5 वर्ष	27 वर्ष	धारा 10 क के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में है।	
			पर्य0-उ0स0द0के0 पन्तवाडी-टिहरी	1.7.90	31.5.18	27 वर्ष 11 माह	दुर्गम	5 माह	11 माह		

	19-श्री सुरेश सिंह	29.5.68	ग्रा0-जाखणी पो0-कीर्तिनगर, टिहरी	माली-उ0स0द0के0	15.10.86	13.7.88	1 वर्ष 9 माह	सुगम	31 वर्ष 3 माह	4 माह	धारा 10 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।	
				जोशीमठ-बमोली								
				माली-आ0प्र0 धनोल्डी-टिहरी	14.7.88	18.2.94	5 वर्ष 7 माह	सुगम				
				माली-उ0स0द0के0 कीर्तिनगर-टिहरी	18.2.94	18.1.18	23 वर्ष 11 माह	सुगम				
	20-श्री कौरसिंह	10.6.66	डोकाकीधार, दशाज्यूला, सुवाखोली, टिहरी	पर्या0-उ0स0द0के0 आछरीखूँट-टिहरी	19.1.18	31.5.18	4 माह	दुर्गम			धारा 10 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।	
				माली-रा0उ0 मगरा-टिहरी	9.7.86	6.3.18	31 वर्ष 8 माह	दुर्गम	31 वर्ष 10 माह			
				पर्या0-उ0स0द0के0 भवान-टिहरी	7.3.18	31.5.18	2 माह	दुर्गम				

5-जनपद रुद्रप्रयाग

स्वी0 पदों की सं0	पदनाम/ कार्यालय	तैनात कार्मिक का नाम	जन्म तिथि	गृह जनपद	सम्पूर्ण सेवा का विवरण							
					पद एवं कार्यस्थल	कब से	कब	सेवा अवधि	सुगम / दुर्गम	सुगम की कुल सेवा	दुर्गम की कुल सेवा	अधिनियम की अन्तर्गत अनुमन्य छूट (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	पर्यवेक्षक लि0उ0 कार्या0-रुद्रप्रयाग	1-श्री देवी प्रसाद जंगवाल	4.8.61	वि0ख0 जखोली (रुद्रप्रयाग)	पर्या0-रा0उ0स्थायी, रुद्रप्रयाग	27.1.15	31.5.18	3 वर्ष 4 माह	दुर्गम	शून्य	3 वर्ष 4 माह	धारा 10 क के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
		2-श्री श्यामलियाल	6.12.64	वि0ख0 जखोली (रुद्रप्रयाग)	पर्या0-उ0स0द0के0 सिद्धचौड, रुद्रप्रयाग	18.12.16	31.5.18	1 वर्ष 5 माह	सुगम	1 वर्ष 5 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
		3-श्री अरविन्द कुमार	30.4.88	वि0ख0 ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)	पर्या0-उ0स0द0के0, गुल्तकाशी रुद्रप्रयाग	18.11.15	31.5.18	2 वर्ष 6 माह	दुर्गम	शून्य	2 वर्ष 6 माह	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

4-श्री राहुल कुमार	18.2.92	वि०छा० अगरस्तमुनि (रूद्रप्रयाग)	पर्य०-उ०स०द०के०, वसुकेदार	18.11.15	31.5.18	2 वर्ष 6 माह	सुगम	2 वर्ष 6 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
			पर्य०-उ०स०द०के० कर्णप्रयाग (चमोली)	28.11.15	8.8.17	1 वर्ष 9 माह	सुगम	2 वर्ष 6 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
5-श्री पूजा डिमरी	1.7.85	वि०छा० कर्णप्रयाग, चमोली	पर्य०-जि०उ०कार्या०-रूद्रप्रयाग	9.8.17	31.5.18	9 माह	सुगम		शून्य	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
			पर्य०-उ०स०द०के० फाटा-रूद्रप्रयाग	11.2.13	31.5.18	5 वर्ष 3 माह	दुर्गम	शून्य	5 वर्ष 3 माह	धारा 7 क के अनुसार दुर्गम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
6-श्री मनोज बिष्ट	30.1.84	वि०छा० ऊखीमठ- रूद्रप्रयाग	पर्य०-जि०उ०कार्या०-रूद्रप्रयाग	17.10.17	31.5.18	7 माह	सुगम	7 माह	शून्य	धारा 10 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
			पर्य०-उ०स०द०के० फाटा-रूद्रप्रयाग	31.5.18	7 माह	शून्य				
7-श्री गिरीश चन्द्र सेनवाल	2.7.73	वि०छा० ऊखीमठ- रूद्रप्रयाग	पर्य०-जि०उ०कार्या०-रूद्रप्रयाग	17.10.17	31.5.18	7 माह	सुगम	7 माह	शून्य	धारा 10 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
			पर्य०-उ०स०द०के० फाटा-रूद्रप्रयाग	31.5.18	7 माह	शून्य				

6-जनपद हरिद्वार

स्वी० पदों की सं०	पदनाम/ कार्यालय	तैनात कार्मिक का नाम	जन्म तिथि	गृह जनपद	सम्पूर्ण सेवा का विवरण								अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत अनुमन्य छूट (यदि कोई हो)
					पद एवं कार्यस्थल	कब से	कब	सेवा अवधि	सुगम / दुर्गम	सुगम की कुल सेवा	दुर्गम की कुल सेवा		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13	पर्यवेक्षक मु०उ० कार्या०- हरिद्वार	1-श्री ऋषिपाल सिंह	1.7.58	ग्रा०-सबोली, तह०-नकुण्ड शाहरनपुर, उ०प्र०	माली-उ०स०द०के०, खानपुर-हरिद्वार / जनपद हरिद्वार के अधीन पर्य०-उ०स०द०के० लक्कर-हरिद्वार	8.9.86	9.10.17	31 वर्ष 1 माह	सुगम	31 वर्ष 11 माह	शून्य	धारा 7 क एवं 7 घ (एक) के अनुसार छूट की श्रेणी में है।	

2-श्री नरेश कुमार	15.7.78	श्री0- बिनारसी, भगवानपुर हरिद्वार	श्री0- गंगादासपुर तह0-लकसर, हरिद्वार	पर्य0-रा0उ0खाण्ड-टिहरी	6.12.13	3.6.16	2 वर्ष 6 माह	दुर्गम	1 वर्ष 11 माह	2 वर्ष 6 माह	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पत्रता की श्रेणी में नहीं है।
				पर्य0-उ0स0द0के0 नन्दगॉव-टिहरी	4.6.16	27.9.17	1 वर्ष 3 माह	सुगम	माह		
3-श्री किरणपाल सिंह	10.7.89	श्री0- गंगादासपुर तह0-लकसर, हरिद्वार	श्री0- गंगादासपुर तह0-लकसर, हरिद्वार	पर्य0-उ0स0द0के0 धनोरी-हरिद्वार	28.9.17	31.5.18	8 माह	सुगम			
				पर्य0-उ0स0द0के0 यूडा-नैनीताल	23.11.15	3.11.16	1 वर्ष	दुर्गम	7 माह	2 वर्ष	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पत्रता की श्रेणी में नहीं है।
				पर्य0-उ0स0द0के0 हरतोला-नैनीताल	4.11.16	29.10.17	1 वर्ष	दुर्गम			
				पर्य0-उ0विशेषज्ञ, कार्या0-कोटद्वार-पौड़ी	29.10.17	29.11.17	1 माह	सुगम			
				पर्य0-मु0उ0कार्या0 हरिद्वार	30.11.17	31.5.18	6 माह	सुगम			

7-जनपद चमोली

स्वी0 पदों की सं0	पदनाम/ कार्यालय	तैनात कामिक का नाम	जन्म तिथि	गृह जनपद	पद एवं कार्यस्थल	सम्पूर्ण सेवा का विवरण						अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत अनुमन्य छूट (यदि कोई हो)
						कब से	कब	सेवा अवधि	सुगम / दुर्गम	सुगम की कुल सेवा	दुर्गम की कुल सेवा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	पर्यवेक्षक मु0उ0 कार्या0-चमोली	1-श्री राजकिशार	15.8.88	श्री0-चरी, पो0-काण्डई, वि0ख0-घाट चमोली	उ0स0द0के0, उगम, चमोली	16.11.15	31.5.18	2 वर्ष 6 माह	दुर्गम	शून्य	2 वर्ष 6 माह	धारा 10 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पत्रता की श्रेणी में नहीं है।
		2-श्री दिगपाल सिंह नेगी	5.7.92	श्री0/पो0-गडोरा, वि0 ख0 दशोली, चमोली	उ0स0द0के0, कोटी, चमोली	19.11.15	11.7.17	1 वर्ष 8 माह	दुर्गम	10 माह	1 वर्ष 8 माह	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पत्रता की श्रेणी में नहीं है।
		3-श्री रघुवीर सिंह राना	8.9.84	श्री0-महडबगटी वि0ख0-घाट चमोली	पर्य0-उ0स0द0के0, गोपेश्वर-चमोली	6.2.13	31.5.18	5 वर्ष 4 माह	सुगम	5 वर्ष 4 माह	शून्य	धारा 7 क के अनुसार दुर्गम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पत्रता की श्रेणी में है।

4-श्री प्रदीप सिंह नेगी	30.5.86	ग्रा0-रेस, पो0-चौपता, वि0ख0 नारायण बागड चमोली	पर्य0-उ0स0द0के0, ग्वालदम-चमोली	23.11.15	31.5.18	2 वर्ष 6 माह	दुर्गम	शून्य	2 वर्ष 6 माह	धारा 10 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
5-श्री पवन चौहान	2.4.65	ग्रा0/पो0- अजीतपुर, वि0ख0 बाहदराबाद, हरिद्वार	पर्य0-रा0उ0, पैन्तोली पर्य0-उ0स0द0के0 देवाल, चमोली	26.11.15 8.10.16	7.10.16 31.5.18	11 माह 1 वर्ष 7 माह	दुर्गम सुगम	1 वर्ष 7 माह	11 माह	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
6-श्री अमर सिंह साना	18.10.79	ग्रा0/पो0- मलासी, वि0ख0 जोशीमठ, चमोली	पर्य0-उ0स0द0के0 गैरसेण चमोली	26.11.15	31.5.18	2 वर्ष 6 माह	सुगम	2 वर्ष 6 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
7-श्री मनोज सिंह पुण्डीर	7.2.86	ग्रा0/पो0- जरथारा, वि0ख0 कर्णप्रयाग- चमोली	पर्य0-उ0स0द0के0 पोखरी, चमोली	20.11.15	31.5.18	2 वर्ष 6 माह	सुगम	2 वर्ष 6 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
8-श्रीमती पालिवाल	मीनाक्षी 10.10.84	ग्रा0/पो0- बिनाडी, देवप्रयाग- दिहरी	पर्य0-उ0स0द0के0 देवाल, चमोली पर्य0-उ0स0द0के0 कर्णप्रयाग-चमोली	19.11.15 20.4.16	19.6.16 31.5.18	7 माह 2 वर्ष 1 माह	सुगम सुगम	2 वर्ष 8 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
9-श्रीमती कविता परिहार	4.5.85	ग्रा0-पो0- जखेडा, गरूड, (बागेश्वर)	पर्य0-उ0स0द0के0 नारायणबागड, चमोली	23.11.15	31.5.18	2 वर्ष 6 माह	सुगम	2 वर्ष 6 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

8-जनपद ऊधमसिंहनगर

स्वी0 पदों की सं0	पदनाम / कार्यालय	तैनात कार्मिक का नाम	जन्म तिथि	गृह जनपद	सम्पूर्ण सेवा का विवरण												अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत अनुमन्य छूट (यदि कोई हों)
					पद एवं कार्यस्थल		कब से	कब	सेवा अवधि	सुगम / दुर्गम	सुगम की कुल सेवा	दुर्गम की कुल सेवा					
1	पर्यवेक्षक मु0उ0 कार्या0-ऊधमसिंह नगर	1-श्री रामदत्त जोशी	5.1.61	सामनगर-हरिद्वार	6		7	8	9	10	11	12	13	धारा 7 घ (एक) के अनुसार छूट की श्रेणी में है।			
					माली-उपनिश्चक कार्या0-लखनऊ, उ0प्र0	18.8.84	17.5.88	3 वर्ष 9 माह	सुगम	33 वर्ष 7 माह	शून्य						
					माली-मशरूम केन्द्र, ज्योतीकोट	16.7.88	15.5.04	15 वर्ष 10 माह	सुगम								
15	पर्यवेक्षक मु0उ0 कार्या0-ऊधमसिंह नगर	2-श्रीमती निशा देवी	10.5.89	झनकट, खटीमा ऊधमसिंह नगर	पद एवं कार्यस्थल		कब से	कब	सेवा अवधि	सुगम / दुर्गम	सुगम की कुल सेवा	दुर्गम की कुल सेवा	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।				
					पद एवं कार्यस्थल	कब से	कब	सेवा अवधि	सुगम / दुर्गम	सुगम की कुल सेवा	दुर्गम की कुल सेवा						
					पद एवं कार्यस्थल	कब से	कब	सेवा अवधि	सुगम / दुर्गम	सुगम की कुल सेवा	दुर्गम की कुल सेवा						

9-जनपद चम्पावत

स्वी0 पदों की सं0	पदनाम / कार्यालय	तैनात कार्मिक का नाम	जन्म तिथि	गृह जनपद	सम्पूर्ण सेवा का विवरण												अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत अनुमन्य छूट (यदि कोई हों)
					पद एवं कार्यस्थल		कब से	कब	सेवा अवधि	सुगम / दुर्गम	सुगम की कुल सेवा	दुर्गम की कुल सेवा					
1	पर्यवेक्षक जि0उ0 कार्या0-चम्पावत	1-श्री दरवान सिंह	11.1.65	चम्पावत	पद एवं कार्यस्थल		कब से	कब	सेवा अवधि	सुगम / दुर्गम	सुगम की कुल सेवा	दुर्गम की कुल सेवा	धारा 7 ख के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में है।				
					पद एवं कार्यस्थल	कब से	कब	सेवा अवधि	सुगम / दुर्गम	सुगम की कुल सेवा	दुर्गम की कुल सेवा						
15	पर्यवेक्षक जि0उ0 कार्या0-चम्पावत	1-श्री दरवान सिंह	11.1.65	चम्पावत	पर्या0-जि0उ0कार्या0-चम्पावत	5.2.15	31.5.18	3 वर्ष 4 माह	सुगम	3 वर्ष 4 माह	शून्य						

	2-कु0 निधि जोशी	25.11.87	चम्पावत	पर्य0-रा0पी0-चम्पावत	16.11.15	31.5.18	2 वर्ष 6 माह	सुगम	2 वर्ष 6 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
	3-कु0 मंजू टम्टा	3.7.92	चम्पावत	पर्य0-जि0उ0कार्या0-चम्पावत	19.11.15	31.5.18	2 वर्ष 6 माह	सुगम	2 वर्ष 6 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
	4- श्री मनीष कुमार	5.5.91	रुद्रप्रयाग	पर्य0-जि0उ0कार्या0-चम्पावत	4.10.17	31.5.18	8 माह	सुगम	8 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।

10-जनपद पिथौरागढ़

स्त्री0 पदों की सं0	पदनाम / कार्यालय	तैनात कार्मिक का नाम	जन्म तिथि	गृह जनपद	पद एवं कार्यस्थल	सम्पूर्ण सेवा का विवरण						अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत अनुमन्य छूट (यदि कोई हो)
						कब से	कब	सेवा अवधि	सुगम / दुर्गम	सुगम की कुल सेवा	दुर्गम की कुल सेवा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	पर्यवेक्षक जि0उ0 कार्या0- पिथौरागढ़	1-श्री अरुण कुमार	10.6.84	देहरादून	पर्य0-उ0स0द0के0 संगोड़-पिथौरागढ़	3.12.15	31.5.18	2 वर्ष 6 माह	दुर्गम	शून्य	2 वर्ष 6 माह	धारा 10 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
		2-श्री संजीव कुमार	10.3.84	पिथौरागढ़	पर्य0-उ0स0द0के0 देवलथल-पिथौरागढ़	26.11.15	31.5.18	2 वर्ष 6 माह	सुगम	2 वर्ष 6 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
		3-श्री गौरव जोशी	1.4.89	पिथौरागढ़	पर्य0-उ0स0द0के0 अस्कोट-पिथौरागढ़	17.11.15	31.5.18	2 वर्ष 6 माह	सुगम	2 वर्ष 6 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।

4-श्री मुकेश पन्त	18.7.88	पिथौरागढ़	पर्य0-रा0उ0कनालीछीना- पिथौरागढ़	17.11.15	31.5.18	2 वर्ष 6 माह	सुगम	2 वर्ष 6 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
			पर्य0-रा0उ0 कवीटी- पिथौरागढ़	21.11.15	4.11.16	11 माह	दुर्गम	2 वर्ष 6 माह	11 माह	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
5-श्री भावना धामी	5.6.87	पिथौरागढ़	पर्य0-मु0उ0कार्या0- पिथौरागढ़	5.11.16	31.5.18	2 वर्ष 6 माह	सुगम	2 वर्ष 6 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
6-श्री विनोद कुमार	8.7.89	पिथौरागढ़	पर्य0-मु0उ0कार्या0- पिथौरागढ़	18.11.15	31.5.18	2 वर्ष 6 माह	सुगम	2 वर्ष 6 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
7-श्री आशीष खर्कवाल	12.7.89	चम्पावत	पर्य0-उ0स0द0के0 नाचनी- पिथौरागढ़	18.11.15	31.5.18	2 वर्ष 6 माह	सुगम	2 वर्ष 6 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
			पर्य0-उ0स0द0के0 चम्पावत	19.11.15	18.4.16	5 माह	दुर्गम	शून्य	2 वर्ष 6 माह	धारा 10 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
8-श्री प्रदीप कुमार पैचोली	23.12.86	चम्पावत	पर्य0-रा0पौ0खतेडा-चम्पावत	18.4.16	31.5.18	2 वर्ष 1 माह	दुर्गम	2 वर्ष 6 माह	धारा 10 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

11-जनपद नैनीताल

स्त्री0 पदों की सं0	पदनाम / कार्यालय	तैनात कार्मिक का नाम	जन्म तिथि	गृह जनपद	सम्पूर्ण सेवा का विवरण								अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत अनुमन्य छूट (यदि कोई हों)
					पद एवं कार्यस्थल	कब से	कब	सेवा अवधि	सुगम / दुर्गम	सुगम की कुल सेवा	दुर्गम की कुल सेवा		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
32	पर्यवेक्षक भू0उ0 कार्या0- नैनीताल	1-श्रीमती कमलजीत कौर	14.2.85	ऊधमसिंह नगर	पर्य0-रा0उ0 गंगोलीहाट-पिथौरागढ़ पर्य0-रा0पौ0 भीमताल-नैनीताल	30.11.15	31.10.16	11 माह	सुगम	2 वर्ष 6 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।	
		2-श्री जीवन सिंह नेगी	16.3.66	अल्मोजा	माली-प्रयो0एवं प्रशि0 केन्द्र, चौबटिया-अल्मोजा माली-प्रयो0एवं प्रशि0 केन्द्र, ज्योलीकोट-नैनीताल पर्य0-उ0स0द0के0, ज्योलीकोट-नैनीताल पर्य0-उ0स0द0के0, नैनीताल	3.3.86	31.5.04	18 वर्ष 3 माह	दुर्गम	13 वर्ष 11 माह	18 वर्ष 3 माह	धारा 7 ख एवं 7 घ (दो) के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु छूट की श्रेणी में है।	
		3-श्री विपिन चन्द्र सुयाल	5.6.76	नैनीताल	पर्य0-रा0उ0 चौबटिया-अल्मोजा पर्य0-उ0स0द0के0, रानीबाग-नैनीताल	1.1.16	31.3.16	3 माह	दुर्गम	2 वर्ष 2 माह	3 माह	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।	
		4-श्री केदार सिंह कार्की	28.5.58	पिथौरागढ़	माली-उ0स0द0के0, हल्द्वानी-नैनीताल माली-शा0केन्द्र, चौबटिया-अल्मोजा पर्य0-उ0स0द0के0, हल्द्वानी-नैनीताल पर्य0-उ0स0द0के0, नैनीताल	18.2.85	30.11.87	2 वर्ष 9 माह	सुगम	25 वर्ष 8 माह	7 वर्ष 7 माह	धारा 7 क (एक) के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु छूट की श्रेणी में है।	
		5-श्रीमती दीपि खाती	2.1.82	अल्मोजा	पर्य0-उ0स0द0के0, हल्द्वानी-नैनीताल	21.11.15	31.5.18	2 वर्ष 6 माह	सुगम	2 वर्ष 6 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।	

Sharma

SE

Handwritten signature

Handwritten signature

6-श्री नवल किशोर जोशी	29.5.73	नैनीताल	पर्य0- उ0स0द0के0, बैलपडाव-नैनीताल	2.2.13	31.5.18	5 वर्ष 4 माह	दुर्गम	शून्य	5 वर्ष 4 माह	धारा 10 क के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में है।
7-श्री पी0सी0 जोशी	25.7.64	नैनीताल	माली- उ0स0द0के0, जसपुर-ऊधमसिंहनगर	15.1.86	30.6.92	6 वर्ष 5 माह	सुगम	9 वर्ष 4 माह	23 वर्ष	धारा 7 ख एवं 7 घ (2) के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु छूट की श्रेणी में है।
			उ0स0द0के0, बेतालघाट-नैनीताल	1.7.92	1.7.15	23 वर्ष	दुर्गम			
			पर्य0-रा0उ0रामनगर-नैनीताल	1.7.15	31.5.18	2 वर्ष 11 माह	सुगम			
8-श्री रामजीवन कटियार	5.5.62	उ0प्र0	माली0-आ0वि0कार्या0- नैनीताल	1.12.87	18.7.96	8 वर्ष 7 माह	सुगम	29 वर्ष 10 माह	8 माह	धारा 10 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
			माली-उ0स0द0के0 खटीमा-ऊधमसिंहनगर	19.7.96	6.10.17	2 वर्ष 3 माह	सुगम			
			पर्य0-उ0स0द0के0 गरसपानी- नैनीताल	7.10.17	31.5.18	8 माह	दुर्गम			
9-कृ0 प्रियंका	25.6.87	चमोली	पर्य0-उ0स0द0के0-गापेश्वर	23.11.15	31.8.17	1 वर्ष 9 माह	सुगम	2 वर्ष 6 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
10-श्री हरेन्द्र सिंह	10.5.87	देहरादून	पर्य0-मु0उ0कार्या0-नैनीताल	1.9.17	31.5.18	9 माह	सुगम			धारा 10 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
			पर्य0-उ0स0द0के0 हरदोला-नैनीताल	13.10.17	31.5.18	7 माह	दुर्गम	शून्य	7 माह	
11-श्री गणेश सिंह खेतवाल	18.6.84	बागेश्वर	पर्य0-उ0स0के0 मीजापानी-नैनीताल	19.11.15	31.5.18	2 वर्ष 6 माह	दुर्गम	शून्य	2 वर्ष 6 माह	धारा 10 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
			पर्य0-उ0स0द0के0- नैनीताल	23.11.15	31.5.18	2 वर्ष 6 माह	दुर्गम	शून्य	2 वर्ष 6 माह	
12-श्रीमती ममता मेर	6.6.87	नैनीताल	पर्य0-उ0स0द0के0- नैनीताल	23.11.15	31.5.18	2 वर्ष 6 माह	दुर्गम	शून्य	2 वर्ष 6 माह	धारा 10 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
13-श्री दीपक साह	15.12.87	टिहरी	पर्य0-उ0स0द0के0-पूडा- नैनीताल	26.11.15	31.5.18	2 वर्ष 6 माह	दुर्गम	शून्य	2 वर्ष 6 माह	धारा 10 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।

14-श्री गोपाल सिंह नेगी	18.1.63	अल्मोजा	माली-उ0स0द0के0-स्याल्दे (अल्मोजा)	22.2.85	31.7.93	8 वर्ष 5 माह	सुगम	8 वर्ष 5 माह	24 वर्ष 10 माह	धारा 10 ख के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य
			माली-उ0स0द0के0-नथुगाखान (नैनीताल)	19.8.93	31.7.17	24 वर्ष	दुर्गम			स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में है।
			पर्य0-उ0स0द0के0-सुयालबाडी (नैनीताल)	1.8.17	31.5.18	10 माह	दुर्गम			
15-श्री नवीन चन्द्र लोहनी	15.10.60	नैनीताल	माली-उ0स0द0के0-बल्दियाखान (नैनीताल)	6.6.86	1.3.17	30 वर्ष 9 माह	दुर्गम	शून्य	31 वर्ष 11 माह	धारा 10 ख के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य
			पर्य0-रा0उ0 गरगडी (नैनीताल)	1.4.17	31.5.18	1 वर्ष 2 माह	दुर्गम			स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में है।
			पर्य0-रा0उ0 रामगढ़-नैनीताल	23.11.15	31.5.18	2 वर्ष 6 माह	दुर्गम	शून्य	2 वर्ष 6 माह	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।

12-जनपद अल्मोजा

स्वी0 पदों की सं0	पदनाम/कार्यालय	तैनात कार्मिक का नाम	जन्म तिथि	गृह जनपद	पद एवं कार्यस्थल	सम्पूर्ण सेवा का विवरण						आधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत अनुमन्य छूट (यदि कोई हो)
						कब से	कब	सेवा अवधि	सुगम / दुर्गम	सुगम की कुल सेवा	दुर्गम की कुल सेवा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	पर्यवेक्षक मु0उ0 कार्या0-अल्मोजा	1-श्री पंकज आर्या	10.7.84	अल्मोजा	पर्य0-उ0स0द0के0 तमगडा अल्मोजा	18.11.15	31.5.18	2 वर्ष 6 माह	सुगम	2 वर्ष 6 माह	शून्य	धारा 10 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
		2-श्री दीपक बिष्ट	2.1.85	देहरादून	पर्य0-उ0स0द0के0-देवीथल-अल्मोजा	23.11.15	31.5.18	2 वर्ष 6 माह	दुर्गम	शून्य	2 वर्ष 6 माह	धारा 10 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
		3-श्री हेम चन्द्र बिष्ट	1.9.85	नैनीताल	पर्य0-उ0स0द0के0-धौलछीना अल्मोजा	26.11.15	31.5.18	2 वर्ष 6 माह	सुगम	2 वर्ष 6 माह	शून्य	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।

4-श्री राम सिंह नेगी	23.9.64	अल्मोड़ा	माली-उ०स०द०क०-देवीशुरा- चम्पावत	12.1.85	31.8.92	7 वर्ष 7 माह	दुर्गम	22 वर्ष 5 माह	10 वर्ष 11 माह	धारा 10 क के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में है।	
			माली-उ०स०द०क०- ताडीखेत-अल्मोड़ा	1.9.92	1.2.15	22 वर्ष 5 माह	सुगम				
			पर्य०-उ०स०द०क०- विल्लेख-अल्मोड़ा	2.2.15	31.5.18	3 वर्ष 4 माह	दुर्गम				
5-श्री प्रमोद सिंह राणा	6.7.87	अल्मोड़ा	पर्य०-उ०स०द०क०- शिविसारौण-अल्मोड़ा	1.2.13	31.5.18	5 वर्ष 4 माह	सुगम	5 वर्ष 4 माह	शून्य	धारा 7 क के अनुसार दुर्गम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में है।	
6-श्री आनन्द सिंह सौतेला	30.10.63	अल्मोड़ा	माली-रा०उ०दूनागिरी- अल्मोड़ा	27.12.85	31.3.88	2 वर्ष 3 माह	दुर्गम	29 वर्ष 6 माह	2 वर्ष 3 माह	धारा 7 क के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु दुर्गम क्षेत्र हेतु पात्रता की श्रेणी में है।	
			माली-उ०स०द०क०, जौरासी- अल्मोड़ा	1.11.88	24.8.15	26 वर्ष 9 माह	सुगम				
			पर्य०-उ०स०द०क०, जौरासी- अल्मोड़ा	25.8.15	31.5.18	2 वर्ष 9 माह	सुगम				
			माली-रा०उ०-चौबटिया- अल्मोड़ा	3.7.84	23.1.15	30 वर्ष 6 माह	दुर्गम	शून्य	33 वर्ष 10 माह	धारा 10 क के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में है।	
7-श्री लक्ष्म सिंह	14.3.59	अल्मोड़ा	पर्य०-रा०उ०-चौबटिया- अल्मोड़ा	24.1.15	31.5.18	3 वर्ष 4 माह	दुर्गम				
8-श्री हरक सिंह	12.12.59	अल्मोड़ा	माली-रा०उ०-चौबटिया- अल्मोड़ा	3.9.85	17.5.15	29 वर्ष 8 माह	दुर्गम	शून्य	32 वर्ष 8 माह	धारा 10 ख के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में है। दिनांक 31.12.2019 में सेवा निवृत्त है।	
			पर्य०-रा०उ०-चौबटिया- अल्मोड़ा	18.5.15	31.5.18	3 वर्ष	दुर्गम				
9-श्री आनन्द गिरी	2.2.66	अल्मोड़ा	माली-रा०उ०चौबटिया- अल्मोड़ा	1.8.87	26.5.15	27 वर्ष 9 माह	दुर्गम	शून्य	30 वर्ष 9 माह	धारा 10 ख के अनुसार सुगम क्षेत्र हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में है।	
			पर्य०-रा०उ०-चौबटिया- अल्मोड़ा	27.5.15	31.5.18	3 वर्ष	दुर्गम				

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

10-श्री आकाश तिवारी	4.3.95	अल्मोड़ा	पर्य0-रा0उ0-वौबटिया- अल्मोड़ा	17.8.15	31.5.18	2 वर्ष 9 माह	दुर्गम	शून्य	2 वर्ष 9 माह	धारा 10 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।
---------------------	--------	----------	----------------------------------	---------	---------	-----------------	--------	-------	-----------------	--

13-जनपद बागेश्वर

स्वी0 पदों की सं0	पदनाम / कार्यालय	तैनात कार्मिक का नाम	जन्म तिथि	गृह जनपद	सम्पूर्ण सेवा का विवरण								अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत अनुमन्य छूट (यदि कोई हो)
					पद एवं कार्यस्थल	कब से	कब	सेवा अवधि	सुगम / दुर्गम	सुगम की कुल सेवा	दुर्गम की कुल सेवा	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
11	पर्यवेक्षक जि0उ0 कार्या0- चम्पावत	1-श्रीमती श्वेता जोशी	30.3.87	बागेश्वर	पर्य0-रा0उ0वौबटिया-अल्मोड़ा	5.2.13	26.7.14	1 वर्ष 5 माह	दुर्गम	3 वर्ष 9 माह	1 वर्ष 5 माह	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।	
		2-श्री दीपक साह	1.6.85	बागेश्वर	पर्य0-उ0स0द0के0 कपकोट-बागेश्वर	2.2.13	31.05.18	2 वर्ष 6 माह	दुर्गम	शून्य	5 वर्ष 4 माह	धारा 7 ख के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं है।	
					पर्य0-उ0स0द0के0 गारुड- बागेश्वर	27.7.14	31.12.16	2 वर्ष 5 माह	सुगम				
					पर्य0-रा0पौ0-बागेश्वर	1.1.17	31.5.18	1 वर्ष 4 माह	सुगम				

नोट:- उपरोक्त विवरण जनपदीय अधिकारियों द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है।

